

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प खोदिगा

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खोदिगा व भू.अ.नि. दांडण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोदिगा तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 184 नया 73 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्रसं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	खोदिगा	184 नया 73 पुराना	जगुराम पुत्र रुधाराम	जगुराम उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र रुधाराम
	रहन व अन्य प्रविष्टि संभावित			

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :-

2654

प्रतिलिपि:-

14.6.18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री जगुराम उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र

3. रक्षित पत्रावली।

रुधाराम जति दांड
नि: खोदिगा

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

2654/18